



घोडश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि ०६ अग्रहायण, १९४० (श०)
२९ नवम्बर, २०१८ (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या ०१

(१) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

०१

कुल योग ——

०१

कार्रवाई करना

6. श्री कुमार सर्वजीत - स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित शीर्षक “17 ज़िलों के अफसर, एजेंट और डीलरों ने खुले बाजार में बेच दिया 45 करोड़ का चावल-गेहूँ” को ध्यान में रखते हुये कथा भंडी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर ज़िला में 6,703 किलोटन चावल और 1,746 किलोटन गेहूँ, पटना ज़िला में 1,000 चोरा चावल और 1,044 चोरा गेहूँ तथा गया ज़िला में 19.42 करोड़ मूल्य का चावल एवं गेहूँ सहित 17 ज़िलों के अफसर, एजेंट और डीलरों ने खुले बाजार में 45.00 करोड़ रुपया का चावल एवं गेहूँ कालाबाजारी के तहत बेच दिया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 29 नवम्बर, 2018 (ई०) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।